संख्या- 92 /2026/ 1940 /26-3-2026-1513982

प्रेषक,

अनुराग यादव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग- 3 लखनऊ: दिनांक 20 जुलाई, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1486 दिनांक 18-07-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) छात्रवृत्ति तथा दशमोत्तर (कक्षा 11-12) के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु समय सारिणी शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार समय से छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके, तत्क्रम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11-12) के विद्यालयों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु निम्नानुसार समय सारिणी निर्गत की जा रही हैः-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
1	2	3
	मास्टर डाटा	
1	**विद्यालय द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना** प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिए आनलाइन आवेदन करने की कार्यवाही	22 जुलाई 2026 से 05 अगस्त 2026 तक

	किया जाना, जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष समस्त प्रपत्र प्रस्तुत करना, तदोपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके प्रमाणित करना।	
2	**<u>जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन</u>** सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त विद्यालयों की मान्यता, स्वीकृत सीटों की संख्या एवं प्रोफाइल को आनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित करना।	23 जुलाई 2026 से 09 अगस्त 2026 तक
3	**<u>अल्पसंख्यक वर्ग हेतु एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के विद्यालयों की मार्किंग किया जाना</u>** मास्टर डाटा में सम्मिलित व एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के विद्यालयों की जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर मार्किंग किया जाना।	23 जुलाई 2026 से 10 अगस्त 2026 तक
पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षा (9-12)के अन्तर्गत नवीनीकरण (Renewal) कक्षा (10 व 12) के छात्र/छात्राओं हेतु <u>आनलाइन आवेदन व अन्य प्रक्रिया</u>		
1	**<u>छात्रों द्वारा आवेदन पत्र का नवीनीकरण करना तथा हार्डकापी संस्थान में जमा करना।</u>**	11 अगस्त 2026 से 25 अगस्त 2026 तक
2	**<u>विद्यालय द्वारा छात्रों का बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण करना, प्राप्तांक, पूर्णांक, उपस्थिति दर्ज करना एवं अपात्र छात्रों काडाटा निरस्त करके पात्र छात्रों आनलाइन सत्यापित अग्रसारित करना</u>** शैक्षणिक संस्थान के स्तर पर छात्र/ छात्राओं का प्राप्तांक, पूर्णांक, उपस्थिति दर्ज करके पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना तथा अपात्र छात्रों का डाटा निरस्त करना।	11 अगस्त 2026 से 30 अगस्त 2026 तक
3	**<u>जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन करना</u>** सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9-12 हेतु) द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाइन सत्यापित करना।	31 अगस्त 2026 से 10 सितम्बर 2026 तक
4	**<u>एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी</u>**	11 सितम्बर 2026 से 17 सितम्बर 2026 तक

	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके जनपदीय लागिन पर प्रेषित करना।	
संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा के अतिरिक्त अन्य डाटा (त्रुटिरहित के संबंध में कार्यवाही)		
5	**जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना** संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा के अतिरिक्त अन्य डाटा के सम्बन्ध में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा निर्णय लेते हुए पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	18 सितम्बर 2026 से 22 सितम्बर 2026 तक
6	**मांग सृजन** **संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा को छोड़ कर अन्य के विषय में** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	23 सितम्बर 2026 से 28 सितम्बर 2026 तक
7	**धनराशि का अन्तरण** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं को धनराशि का भुगतान किया जाना।	29 सितम्बर 2026 से 5 अक्टूबर 2026 तक
एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी में पाए गए संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा हेतु कार्यवाही		
8	**एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संदेहास्पद /त्रुटिपूर्ण डाटा का वास्तविक डाटा के आधार पर सत्यापन और त्रुटिरहित किए जाने हेतु समयावधि**	**17 सितम्बर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 तक**
9	**एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी** **सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य ईकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना। तदोपरान्त जनपदीय लागिन पर प्रदर्शित किया जाना।**	10 अक्टूबर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक
10	**संदेहास्पद डाटा पर वास्तविक सत्यापन के आधार पर त्रुटिरहित डाटा के विषय में जनपद स्तरीय समिति कि संस्तुति एवं निर्णय के क्रम में इस प्रकार विनिश्चित किये गए पात्र डाटा को विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किया जाना**	16 अक्टूबर 2026 से 20 अक्टूबर 2026 तक
11	**संदेहास्पद डाटा पर वास्तविक सत्यापन के उपरांत जनपद स्तरीय समिति कि संस्तुति एवं निर्णय के क्रम में लॉक डाटा के विषयगत मांग सृजन**	21 अक्टूबर 2026 से 25 अक्टूबर 2026 तक

12	**धनराशि का अन्तरण** **जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं को धनराशि का भुगतान किया जाना।**	25 अक्टूबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक
	पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षा (9-12) के छात्र/छात्राओं के नवीन (Fresh) (कक्षा 9 व 11) हेतु आनलाइन आवेदन व अन्य प्रक्रिया	
1	**नवीन (Fresh) छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन/आनलाइन आवेदन करना**	**11 अगस्त** 2026 से 21 सितम्बर 2026 तक
2	**छात्रों द्वारा फाइनल प्रिन्ट निकालना**	30 सितम्बर 2026 तक
3	**हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना** नवीन (Fresh) छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	**12 अगस्त** 2026 से 5 अक्टूबर 2026 तक
4	**विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना** छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्नक अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का विद्यालय द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का डाटा निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित, बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण कर अग्रसारित करना।	**13 अगस्त** 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक
5	**जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन करना** सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9-12 हेतु) द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाइन सत्यापित करना।	16 अक्टूबर 2026 से 05 नवम्बर 2026 तक
6	**एन0 आई0 सी0 द्वारा स्क्रूटनी** PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न	06 नवम्बर 2026 से 15 नवम्बर 2026 तक

	बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा जनपदीय लागिन पर प्रेषित करना।	
7	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित एन0आई0सी0 द्वारा प्रदर्शित किया जाना।	16 नवम्बर 2026 से 20 नवम्बर 2026 तक
8	सन्देहास्पद डाटा का वास्तविक अभिलेखीय साक्ष्य से मिलान और सत्यापन।	विलम्बतम 14 दिसम्बर 2026 तक
10	**<u>एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी</u>** सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य ईकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना। तदोपरान्त जनपदीय लागिन पर प्रदर्शित किया जाना।	15 दिसम्बर 2026 से 21 दिसम्बर 2026 तक
11	**<u>जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध एवं सस्पेक्ट डाटा लॉक करना</u>** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा संदेहास्पद एवं शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	16 नवम्बर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक
12	**<u>मांग सृजन</u>** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	16 जनवरी 2027 से 24 जनवरी 2027 तक
13	**<u>धनराशि का अन्तरण</u>** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं को धनराशि का भुगतान किया जाना।	25 जनवरी 2027 से 31 जनवरी 2027 तक

1- कक्षा 10 में अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्रों हेतु संस्था स्तर से केवल कक्षा 10 में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा 09 का परीक्षाफल अंकित करते हुये आवेदन आनलाइन अग्रसारण किया जायेगा।

2- कक्षा 12 में अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्रों हेतु संस्था स्तर से केवल कक्षा 12 में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा 11 का परीक्षाफल अंकित करते हुये आवेदन आनलाइन अग्रसारण किया जायेगा।

3- शैक्षणिक संस्थान के स्तर पर नवीनीकरण छात्र का प्राप्तांक, पूर्णांक तथा कक्षा मे उपस्थिति का विवरण भरा जायेगा एवं अपात्र छात्र को हटाया जायेगा।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशों/छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा

अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11-12) के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनुराग यादव)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- निजी सचिव, अपर मुख्य मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/ व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र योजना भवन, लखनऊ।
10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रवीण मिश्र)
विशेष सचिव